(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर0के0 मिश्रा

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2978–दो/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–8–2016 पारित द्वारा आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण क्रमांक 136/अपील/2014–15.

.....

प्रेमनारायण आत्मज श्री हरिसिंह
निवासी ग्राम सवेदा तहसील आष्टा
जिला सीहोर म0प्र0

————आवेदक

विरूद्ध

1. नाथूसिंह आत्मज श्री गोपी
2. पन्नालाल मत– द्वारा उत्तराधिकारी
अ) बाबूलाल पुत्र
ब) प्रहलाद पुत्र
स) प्रेमसिंह पुत्र
सभी निवासीगण ग्राम सेवदा तहसील आष्टा
जिला सीहोर
द) फूल कुंवर बाई पुत्री
पत्नी गजराज सिंह
निवासी ग्राम हरराजखेड़ी तहसील आष्टा
जिला सीहोर
फ) बिन्दा बाई पुत्री
पत्नी विकम सिंह
निवासी ग्राम हरराजखेड़ी तहसील आष्टा
जिला सीहोर

————अनावेदकगण

.....

श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री मेहरबान सिंह, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/7/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के आदेश दिनांक 16–8–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार आष्टा के प्रकरण कमांक 6/अ–13/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 27–9–2014 के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी आष्टा जिला सीहोर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 20–5–2015 आवेदक की अपील अस्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय का आदेश यथावत रखा। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त ने अपने आदेश में यह माना कि अपील करने के पूर्व ही अनावेदक कमांक 2 की मृत्यु हो गई थी और जनबूझकर मृत व्यक्ति के विरू अपील प्रस्तुत किये जाने से अपील उपशमित होने के कारण खारिज की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि तहसीलदार द्वारा नियमों के विपरीत आदेश पारित किया था जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। यह भी तर्क दिया कि आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत करते समय उसे अनावेदक कमांक 2 की मृत्यु की जानकारी नहीं थी फिर पर आयुक्त द्वारा आवेदक के तर्कों पर विचार किए बिना तकनीकी आधार पर अपील को उपशमित करने में त्रुटि की है।

4/ अनावेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि आवेदक एवं अनावेदक एक ही गांव में निवास करते हैं और आवेदक को अनावेदक कमांक 2 की मृत्यु की जानकारी थी। आयुक्त द्वारा जो आदेश किया गया है वह उचित है। अतः निगरानी खारिज की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 2 पन्नालाल की मृत्यु दिनांक 14–10–2014 को हो गई थी और आवेदक द्वारा आयुक्त के समक्ष अपील दिनांक 03–6–2015 को प्रस्तुत की थी। आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष उचित है कि आवेदक एवं अनावेदक एक ही गांव में निवास करते हैं पडौसी कृषक हैं ऐसी स्थिति में अनावेदक कमांक 2 की मृत्यु की जानकारी आवेदक को न होना मान्य नहीं किया जा सकता है। इसी कारण आयुक्त द्वारा दोनों पक्षों के तर्कों का

सुनने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला है कि आवेदक द्वारा जानबूझकर मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। इसी कारण आयुक्त ने अपील उपशमित मानकर खारिज की है। आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी खारिज की जाती है। आयुक्त भोपाल संभाग का आदेश दिनांक 16–8–16 स्थिर रखा जाता है।

3/7/18

(आर0 के0 मिश्रा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,